



Neutral Citation No. - 2026:AHC:32765-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए क्रमांक 39256, 2004

भारत संघ और 3 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

जगत नारायण सिंह और एक अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : बल मुकुंद

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता :

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

बहाली आवेदन संख्या 104112 2006 पर आदेश

1. यह आवेदन रिट ए संख्या 39256/2004 में दिनांक 27.04.2006 को पारित आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें मुकदमे की कार्यवाही न होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया था।
2. हलफनामे के साथ दिए गए आवेदन में बताए गए कारणों के आधार पर, इसे स्वीकार किया जाता है।
3. रिट याचिका को उसका मूल क्रमांक बहाल किया जाता है।

रिट याचिका पर आदेश

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना है कि बाद के घटनाक्रमों के कारण, जिसके तहत न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राहत प्रतिवादी संख्या 1 को प्रदान की गई है, याचिका निष्प्रभावी हो गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. प्रस्तुत दलीलों को देखते हुए, रिट याचिका निष्फल होने के कारण खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (माननीय मुख्य न्यायूर्ति अरुण भंसाली)

फरवरी 13, 2026

एनडी

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”